# प्रवेश संबंधी नियम

## प्रवेश तिथि :

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्रा को प्रवेश समिति के साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है । प्रवेप समिति द्वारा छात्राओं की योग्यता प्रवीणता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र-छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा ।

प्रवेश सूची में नाम आने पर छात्र/छात्रा को 24 घंटे के भीतर अथवा निर्दिष्ट समय में प्रवेश शुल्क पटाना होगा।

## प्रवेश पात्रता :-

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र-छात्रा प्रवेश पा सकेंगे-

1. **बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी. भाग -1**

   माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. **बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी. भाग -2**

   क. बी.ए./बी.काम/बी.एस-सी. भाग-1 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

3. **बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी. भाग -3**

   क. बी.ए./बी.काम/बी.एस-सी. भाग-2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

   ख. समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

## प्रवेश नियम (Admission Rules) :-

1. महाविद्यालय में प्रत्येक कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन पत्र छात्रा एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य है।
2. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

   (1) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate)

   (2) अंकसूची (अंतिम परीक्षा दो प्रतियों में) स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि/फोटो स्टेट कापी।

   (3) चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)

   नियमित छात्राओं को पूर्व के प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वाध्यायी छात्रों के लिए किन्हीं दो उत्तरदायी नागरिकों से चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति ही संलग्न करें।



Scanned with CamScanner

(4) प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) मूल प्रति सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर परिसीमा के बाहर से आये छात्रों के लिए।

(5) अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) पासपोर्ट आकार के दो फोटो।

(7) जाति प्रमाण पत्र केवल अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।

(8) जन्म तिथि प्रमाण पत्र इसके लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि मान्य होगी ।

नोट :

1. अनुत्तीर्ण, पूरक तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षा में नकल करते पकड़े गये छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेश सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसका दायित्व छात्र का होगा, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।
3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा।
4. छात्रा का आचरण अर्हता आदि से संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अपात्र घोषित कर सकते है।
5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्रा का प्रवेश स्थाई समझा जायेगा।महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये प्रवेश से वंचित कर दे या प्रवेश ही रद्द करदे।
6. जिस छात्रा का प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे एक प्रवेश पत्र/परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा। इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिए।
7. आवेदन पत्र में छात्रा का नाम सही होना चाहिये जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र या अंकसूची में अंकित हो। नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्र /छात्रा को पांच रूपये के नान ज्युडिशियर स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ पत्र (Affidavit) देकर नत्थी करना होगा।
8. छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाये स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है।
9. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त निवेश नियमों का पालन किया जावेगा ।

## शुल्क विनिमय :-

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।
2. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दें।
3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।
4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्रा या व्यक्ति के द्वारा जमा



Scanned with CamScanner

की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा।

5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालयीन शुल्क भी जमा करना होगा।

## संस्था छोड़ने हेतु नियम :-

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करती है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

(अ) संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना करनी होगी।

(ब) समस्त शुल्कों को अनिवार्यतः जमा करना होगा।

(स) उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।

(द) संस्था छोड़ने के बाद छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

(च) निःशेष प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

(छ) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र या आचरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 50/- रूपये जमा करना होगा।

(ज) अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी प्रथम प्रवेश की रसीद प्रस्तुत करें। अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जायेगी।

(झ) स्थानांतरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति हेतु एफ.आई.आर. की प्रति एवं शपथपत्र जमा करना अनिवार्य है।

## विश्वविद्यालय नामांकन : (नवीन छात्र/छात्राओं हेतु अनिवार्य) :-

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भर कर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में भरना होगा।

2. स्नातकोत्तर कक्षाओं की छात्रों के लिए नामांकन एवं परीक्षा फार्म पृथक से स्वशासी प्रकोष्ठ में उपलब्ध होगा जिसे छात्रों को स्वयं प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा।



Scanned with CamScanner